

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

सी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं.-2, तुलसी नगर, भोपाल-462003

क्रमांक/एफ-3/52/2018/10-11/15 2494

भोपाल, दिनांक 9-5-24

प्रति,

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,

जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003

विषय:-जिला शिवपुरी के अंतर्गत सनघटा (ऐर) उद्वहन सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 349.00 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:-भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली का दिनांक 27.03.2024

—0—

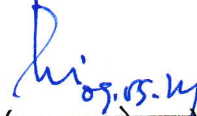
विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र से चाही गई जानकारी का उत्तर आवेदक विभाग से प्राप्त किया जाकर निम्नानुसार संलग्न प्रेषित है :-

क्रं.	चाही गई जानकारी	पालन प्रतिवेदन
1	The State Govt. has now revised the KML file of the instant project and the canal proposed and passing through the Non-forest land have been included in the KML file. However, it is imperative to mention here that the canal area which has been proposed to be constructed in the Non-forest land has not been included in the component wise details furnished in the Part-I form. The State shall ensure that the component wise details of forest/non-forest land involved are correctly mentioned in the online application form.	आवेदक विभाग द्वारा आनलाईन भाग-1 में कम्पोनेन्ट वाइस डिटेल् में नहर में प्रभावित गैर वनभूमि के क्षेत्र को अंकित कर दिया गया है।
2	The State government was asked that the suitability of the area for compensatory afforestation is required to be examined again. In this regard, the state has informed that the area earlier proposed for CA (on NFL) has now been changed and the same is suitable. However, the state has at the same time proposed certain area on DFL for plantation of additional seedlings. In this regard the State shall ensure that the area (NFL) proposed for CA is suitable for raising Compensatory Afforestation as per the provisions of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 1980.	वनमण्डलाधिकारी, शिवपुरी ने लेख किया है कि क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये प्रस्तावित क्षेत्र (गैर वनभूमि) वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों अनुसार प्रतिपूरक वन रोपण बढ़ाने के लिये उपयुक्त है। प्रस्तावित गैर वनभूमि पर निर्धारित मापदण्ड 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर के अनुसार रोपण नहीं होने के कारण शेष पौधे बिगड़े वन क्षेत्र पर लगाये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

3	The State Govt. has not informed as to how much area of the proposed NFL is not suitable/fit for raising compensatory afforestation of a specified density and the reasons for the same have also not been specified.	इस संबंध में वनमण्डलाधिकारी, शिवपुरी ने अवगत कराया है कि गैर वनभूमि के लिए आवंटित 367.22 हे० भूमि में से 11.67 हेक्टेयर भूमि पथरीली होने के कारण उपयुक्त नहीं है।
4	Analysis of the satellite imagery of degraded forest land proposed for plantation has revealed the presence of plantation work in one patch namely PF 936 and a part of proposed patch namely RF-478 is affected with encroachment/ Agriculture.	इस संबंध में वनमण्डलाधिकारी, शिवपुरी द्वारा पूर्व में निर्धारित बिगड़े वन क्षेत्र PF 936 एवं RF-478 के स्थान पर PF 935 एवं RF-476 में परिवर्तन किया गया है। उक्त नवीन बिगड़े वन क्षेत्र की रोपण योजना मय तकनीकी स्वीकृति सहित संलग्न है। परिवर्तित बिगड़े वन क्षेत्र की KML file पोर्टल पर भाग-II में अपलोड की गई है।
5	As asked in the previous communication, the State Government has not verified the total numbers of the trees getting affected.	इस संबंध में वनमण्डलाधिकारी, शिवपुरी द्वारा लेख किया है, कि परियोजना में प्रभावित होने वाले कुल वृक्षों की संख्या 3204 है। वृक्षों का विवरण पोर्टल के भाग-2 में निर्धारित बिन्दु में प्रस्तुत है।

अतः उपरोक्तानुसार अनुरोध है, कि प्रकरण में भारत सरकार की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

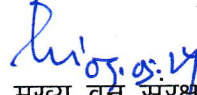

(एच.एस.मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ-3/52/2018/10-11/15/2495
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 9-5-24

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) शिवपुरी वृत्त शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
 2. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
 3. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शिवपुरी, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल शिवपुरी (म0प्र0)

दूरभाष एवं फैक्स नं 07492-221012 ई मेल dfotshivp@mp.gov.in मोबाइल : 9424794737

क्रमांक/डी.एम./2024/ 1789

शिवपुरी, दिनांक/30/4/24

प्रति,

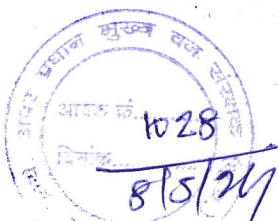
✓ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू प्रबन्ध)
वन भवन भोपाल (म.प्र.)

विषय:- जिला शिवपुरी के अन्तर्गत सनघटा (ऐर) मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 349.00 हेक्टेयर वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत।
संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक दिनांक 27 मार्च 2024 एवं आपका पत्र क्रमांक / एफ -3/ 52/2018/10-11/15/1977 दिनांक 08.04.2024

विषयांकित के संबंध में एवं संदर्भित पत्र के पालन में निवेदन है कि सनघटा (ऐर) मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत इस कार्यालय से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रं.	बिन्दु	उत्तर
i.	The State Govt. has now revised the KML file of the instant project and the canal proposed and passing through the Non-forest land have been included in the KML file, However, it is imperative to mention here that the canal area which has been proposed to be constructed in the non-forest land has not been included in the component wise details furnished in the Part-I form. The State shall ensure that the component wise details of forest/non-forest land involved are correctly mentioned in the online application form.	आवेदक विभाग से संबंधित है।
ii.	The State government was asked that the suitability of the area for compensatory afforestation is required to be examined again. In this regard, the state has informed that the area earlier proposed for CA (on NFL) has now been changed and the same is suitable. However, the state has at the same time proposed certain area on DFL for plantation of additional seedlings. In this regard the State shall ensure that the area (NFL) proposed for CA is suitable for raising Compensatory Afforestation as per the provisions of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 1980.	CA के लिये प्रस्तावित क्षेत्र (NFL) वन (वन संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 1980 के प्रावधानों अनुसार प्रतिपूरक वन रोपण बढ़ाने के लिये उपयुक्त है। NFL पर निर्धारित मापदण्ड 1000 पौधा प्रति हेक्टेयर के अनुसार पौधा रोपण नहीं होने के कारण शेष पौधे DFL पर लगाये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया था।
iii.	The State Govt. has not informed as to how much area of the proposed NFL is not suitable /fit for raising compensatory afforestation of a specified density and the reasons for the same have also not been specified.	NFL के लिये कुल आवंटित 367.22 हे. भूमि में से 11.67 हेक्टेयर भूमि पथरीली होने के कारण उपयुक्त नहीं है।
iv.	Analysis of the satellite imagery of degraded forest land proposed for plantation has revealed the presence of plantation work in one patch namely PF 936 and a part of proposed patch namely RF-478 is affected with encroachment/Agriculture.	पूर्व में निर्धारित डी.एफ.एल. क्षेत्र में PF 936 एवं RF-478 के स्थान पर PF 935 एवं RF-476 निर्धारित कर दिया गया है। उक्त परिवर्तित वन भूमि की प्राजेक्ट रिपोर्ट तकनीकी स्वीकृति एवं KML File परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने हेतु संलग्न है।
v.	As asked in the previous communication, the State Government has not verified the total numbers of the trees getting affected.	सनघटा मध्यम सिंचाई परियोजना में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 3204 है, जिसकी जानकारी इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/डीएम/ 2023/3706 दिनांक 08.08.2023 से आपको प्रेषित की गई है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

(सुधांशु यादव)

भा.व.से.

वनमण्डलाधिकारी

वनमण्डल शिवपुरी (म.प्र.)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग शिवपुरी (म.प्र.)

email:- eewrdshivpuri@yahoo.com

Ph.No. 07492-221354

क्रं. 598 / कार्य / सनघटा / 2024
प्रति,

शिवपुरी, दिनांक 20/4/2024

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल
शिवपुरी (म.प्र.)

विषय:- जिला शिवपुरी के अन्तर्गत सनघटा (ऐर) मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 349.00 हेक्टेयर वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक दिनांक 27 मार्च 2024

विषयांकित के संबंध में एवं संदर्भित पत्र के पालन में सनघटा (ऐर) मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत इस कार्यालय से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रं.	विन्दु	उत्तर
i.	The State Govt. has now revised the KML file of the instant project and the canal proposed and passing through the Non-forest land have been included in the KML file, However, it is imperative to mention here that the canal area which has been proposed to be constructed in the non-forest land has not been included in the component wise details furnished in the Part-I form. The State shall ensure that the component wise details of forest/non-forest land involved are correctly mentioned in the online application form.	वन विभाग के परिवेश पोर्टल के पार्ट-1 के कम्पोनेन्ट वाइस डिटेल् में केनाल का नॉन फॉरेस्ट लेण्ड क्षेत्र को अंकित कर दिया गया है।


कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
शिवपुरी (म.प्र.)

कार्यालय वन संरक्षक, शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी मध्यप्रदेश

00 आदेश 00

क्रमांक/कैम्पा/2024/ 35

शिवपुरी, दिनांक 26-4-2024

मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेंसियल पावर 1995 के भाग-2 के सरल क्रमांक-20 अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वनमंडलाधिकारी शिवपुरी के पत्र क्रमांक/व्यय/1651 दिनांक 22.4.2024 से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार कार्यालयीन आदेश क्रमांक/131 दिनांक 14-8-2023 से प्रदान की गई तकनीकी स्वीकृति में से क्रमांक 2 एवं 3 की तकनीकी स्वीकृति निरस्त की जाकर सनघटा मध्यम सिंचाई परियोजना में प्रभावित वन भूमि 349 हेक्टेयर के बदले क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु आवंटित शासकीय राजस्व भूमि के अतिरिक्त रोपण हेतु शेष रहे पौधों की 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की निम्नानुसार संशोधित तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र	स्थल का नाम	कक्ष क्रमांक	रकवा (हे.में)	कुल राशि
1	सनघटा मध्यम	सतनवाड़ा	कैखोदा	R-476	66.624	36226782
2	सिंचाई परियोजना	सतनवाड़ा	नया गांव	P-935	50.000	28564106
				Total-	116.624	64790888

उपरोक्तानुसार दी गई तकनीकी स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे :-

1. अच्छी गुणवत्ता का कार्य किया जावे तथा निर्धारित जॉबदर/श्रमिक दर पर भुगतान किया जावे।
2. प्रत्येक स्थलवार कार्यों के विवरण एवं व्यय की पंजी संधारित की जावे। प्लान्टेशन जनरल तैयार किया जाये एवं समय-समय पर फोटोग्राफ लेकर चस्पा किये जावें।
3. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन उपरान्त कार्यों की मध्यावधि समीक्षा की जावे तथा आवश्यकता अनुसार प्रस्तावित उपचार पर पुनर्विचार किया जावे।
4. वन समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जावे।
5. वन कर्मचारियों को नामजद जिम्मेदार बनाया जावे।
6. कार्यरत श्रमिकों को साप्ताहिक भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
7. बजट आवंटन प्राप्त होने पर ही कार्य कराया जाए। स्वीकृत बजट राशि से अधिक व्यय कदापि न करें। अतः प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट आवंटन अनुसार ही व्यय किया जाकर आवश्यकतानुसार प्रोजेक्ट संशोधित कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाये।
8. क्रय भण्डार नियमों के अनुसार किया जावे। सामग्रियों हेतु वित्तीय सक्षमता अनुसार स्वीकृति जारी की जाय एवं वरिष्ठ कार्यालय से यदि स्वीकृति प्राप्त की जाना हो तो तत्काल पूर्ण औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रेषित किये जाये।
9. समय-समय पर मुख्यालय के निर्देशानुसार व्यय की मासिक जानकारी, प्राप्त राशियों का लेखा संधारण/मूल्यांकन आदि बावत् प्रतिवेदन (मासिक/त्रैमासिक आदि) समय पर भेजना सुनिश्चित करें।
10. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/558 दिनांक 10-6-2020 के निर्देशानुसार 4-4 हैक्टेयर के प्लॉट डाले जायें तथा प्रति प्लॉट कितने गड्डे खोदे गये हैं, प्लान्टेशन जनरल तथा मेजरमेंट बुक में अंकित किये जायें।

(डॉ. अनुपम सहाय)

वनसंरक्षक

शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी

शिवपुरी, दिनांक 26-4-2024

पृ.क्रमांक/कैम्पा./2024/1019

प्रतिलिपि :

1. महालेखाकार मध्य प्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
2. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
3. वनमंडलाधिकारी, वनमंडल शिवपुरी की ओर उक्त अनुमोदित योजनाओं की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. मानचित्रकार वन वृत्त शिवपुरी की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

वनसंरक्षक

शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी

“परियोजना – प्रतिवेदन”



सनघटा मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत

क्षति-पूर्ति वृक्षारोपण कैखोदा

कक्ष क्रमांक	:-	476
कुल रकवा	:-	66.624
प्रस्तावित क्षेत्रफल	:-	66.624
प्रथम वर्ष राशि	:-	8880694.00
परियोजना राशि	:-	36226782.00
ग्राम वन समिति	:-	कैखोदा
योजना की अवधि		वर्ष 2024-25 से 2035-36 तक
स्थल का नाम	:-	कैखोदा

भाग-1 सामान्य विवरण

1	वन वृत्त	:	शिवपुरी
2	वन मण्डल	:	शिवपुरी
3	परिक्षेत्र	:	सतनवाड़ा
4	तहसील	:	नरवर
5	विधान सभा	:	पोहरी
6	जनपद पंचायत	:	नरवर
7	ग्राम पंचायत	:	कैखोदा
8	परिक्षेत्र सहायक वृत्त	:	मगरोनी
9	परिसर (बीट)	:	कैखोदा
10	वन खण्ड एवं कक्ष क्रमांक	:	आर 476
11	कक्ष का कुल क्षेत्रफल है०	:	179.58
12	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल है०	:	66.624
13	कार्य वृत्त	:	
14	उपचार श्रेणी / पातन श्रेणी	:	
15	कक्ष में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी	:	निरंक
16	प्रस्तावित स्थल में पूर्व में किये गये कार्य	:	निरंक
17	गठित समिति का प्रकार	:	ग्राम वन समिति
18	समिति का मुख्यालय	:	कैखोदा
19	समिति में सम्मिलित गांव	:	कैखोदा
20	समिति के अध्यक्ष का नाम	:	श्री भरोषी बघेल
21	समिति के सचिव का नाम	:	श्री राघवेन्द्र रावत वनरक्षक
22	परिसर रक्षक का नाम	:	श्री राघवेन्द्र रावत वनरक्षक
23	परिक्षेत्र सहायक का नाम	:	श्री हरिशंकर कुशवाह का.उ.व.क्षे.
24	क्षेत्र की भौगोलिक रचना :	:	
	ए. एस्पेक्ट (प्रवण)	:	पश्चिम
	बी. ढलान	:	0 से 5 तक
	सी. चट्टानों का विवरण	:	विंध्यन रौल रॉक समूह
	डी. मिट्टी का प्रकार	:	रेतीली
	ई. नरम मिट्टी का क्षेत्र	:	35 हैक्टर
	एफ कड़ी मिट्टी का क्षेत्र	:	31.24 हैक्टर

25 वन का प्रकार

उत्तर उष्ण देशीय शुष्क पर्णपाती मिश्रित वन
5 बी/सी - 2

0.2 से कम

26 वन धनत्व

27 स्थल की जी.पी.एस. रीडिंग

28 क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां

29 रोपण हेतु प्रस्तावित प्रजातियां

30 कक्ष के वन प्रबंधन का इतिहास

करघई, रेमझा, खैर

शीसम, चिरोल, सिरस, आंवला, करंज, नीम एवं अन्य
विलुप्त प्रजातियां आदि

शिवपुरी वनमण्डल में वर्तमान में श्री डी.के. अग्रवाल भा.व.से.
द्वारा पुनरीक्षित कार्य आयोजना प्रभावशील है जिसके अनुसार
प्रस्तावित क्षेत्र जलाऊ एवं चारागाह विकास में आता है।

31 योजना का उद्देश्य

1-वनीकरण कर वनों के घनत्व में वृद्धि करना

2-मृदा एवं जल संरक्षण करना।

3-स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार के अवसर
प्रदान करना

4-ग्रामीणों की निस्तार की आवश्यकता की पूर्ति
करना।

5-ग्रामीणों को रोजगार प्रदाय कर उनके
पलायन को रोकना।

अतिक्रमण से क्षेत्र का बचाव करना।

6-

32 उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण

1-क्षेत्र की सुरक्षा के लिये पशु अवरोधक दीवार से की
जावेगी।

2-क्षेत्र में फैली आवंछित झाड़ियों को निकालकर एवं जलाकर
सफाई कार्य कराया जावेगा।

3-पौधा रोपण हेतु चिन्हांकन कर गड्डे खोदे जावेंगे

4-गड्डो में उपजाऊ मिट्टी, गोबर खाद एवं नीमखली का
मिश्रण डाला जावेगा।

5-खुले क्षेत्र में हलीकरण कर स्थानीय प्रजातियों के बीजों का
संग्रहण कर उनकी बुआई की जावेगी।

6-क्षेत्र की मिट्टी का परीक्षण करवाया जायेगा तदुपरांत
स्थल की मांग अनुसार रासायनिक तत्वों से उपचारित किया
जायेगा।

7-क्षेत्र में सिरसू, चिरोल, करंज, नीम, आंवला, खमेर इत्यादि
प्रजातियों के पौधों का रोपण कर निदाई गुड़ाई एवं
कीटनाशक का छिड़काव किया जावेगा।

8-अग्नि सुरक्षा एवं क्षेत्र सुरक्षा का कार्य किया जावेगा

9-पौधा परिवहन एवं मूल्यांकन कार्य हेतु मुख्य मार्ग से रोपण
क्षेत्र में निरीक्षण पथ का निर्माण किया जावेगा।

33 लक्ष्य प्राप्ति की सीमा

वर्ष 2024-25 से 2034-35 तक

34 लक्ष्य प्राप्ति की रण नीति

प्रस्तावित क्षेत्र में कराये जाने वाले कार्य एवं भविष्य में क्षेत्र की सुरक्षा के दायित्वों को वन समिति के सहयोग से किया जायेगा। कार्य कराने के पूर्व क्षेत्र का उपचार मानचित्र परिक्षेत्राधिकारी द्वारा 1:12500 के स्केल पर तैयार किया जाकर स्थल की आवश्यकता के अनुरूप कार्य कराये जायेंगे लक्ष्य प्राप्ति हेतु संयुक्त वन प्रबंधन की रणनीति को प्राथमिकता दी जायेगी। वनसुरक्षा में ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्राप्त होने वाली वनीपज के वितरण की व्यवस्था का प्रावधान समिति सदस्यों से चर्चा कर ठहराव प्रस्ताव के अनुसार किया जायेगा।

35 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

अ. आंतरिक मूल्यांकन

वनमण्डल के अंतर्गत बरिष्ठ द्वारा निर्देशित मूल्यांकन पद्धति से माह मई एवं माह अक्टूबर में क्षेत्र का मूल्यांकन कराया जायेगा। जिसकी प्रविष्टि प्लान्टेशन जनरल में की जायेगी।

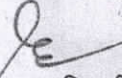
ब. बाह्य मूल्यांकन

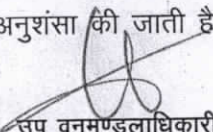
वन वृत्त शिवपुरी के अंतर्गत शिवपुरी, गुना एवं अशोकनगर वनमण्डल के मध्य बाह्य मूल्यांकन का कार्य मुख्य वन संरक्षक शिवपुरी के निर्देशानुसार कराया जायेगा।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल वैकल्पिक वृक्षारोपण कैलोदा कक्ष क्र. आर 476 रकवा 66.624 हेक्टर का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है एवं निरीक्षण के समय उपरोक्त जानकारी सही पाई गई है। यह क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यों/वृक्षारोपण के योग्य है।

प्रोजेक्ट अनुमोदन की अनुशंसा की जाती है।


वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल शिवपुरी


उप वनमण्डलाधिकारी
उप वनमण्डल शिवपुरी


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र सतनवाड़ा

समिति का नाम - कुँखोदा - - - - - पृष्ठ क्रमांक - 50 - - - - -
 परिक्षेत्र का नाम - खेतनवाडी - - - - - प्रस्ताव क्रमांक - 37 - - - - -
 वन मण्डल का नाम - खिवपुरी - - - - -

दिनांक	कार्यवाही विवरण
1	2

03/04/2024 आज दिनांक 03/04/2024 को ग्राह वन समिति कुँखोदा की आमसभा का आयोजन किया गया आयोजन की अध्यक्षता ग्राह वन समिति अध्यक्ष श्री भरोराम वघेल द्वारा की गई बैठक में ग्राह वन समिति सचिव राघवेंद्र सिंह रावत वनरक्षक एवं समिति सदस्य उपस्थित थे बैठक में निम्न विन्दुओं पर चर्चा की गई

<u>प्रस्ताव</u>	<u>टहराव</u>
श्री भरोराम वघेल द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि कुछ क्लॉक RF-476 में वृक्षारोपण कराया जाये जिस पर विचार दिया गया जिसमें वैकल्पिक वृक्षारोपण क्लॉक RF-476 में 66.6 हेक्टेयर दिया जाना प्रस्तावित है।	सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राह वन समिति कुँखोदा अन्तर्गत बीट कुँखोदा के कुछ क्लॉक RF-476 में पर्यावरण की दृष्टि से वृक्षारोपण कराया जावे वृक्षारोपण वनविभाग के द्वारा बनाया जायेगा वृक्षारोपण से पर्यावरण सुधरेगा और जंगल की वृद्धि होगी ग्राह वन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित दिया गया और में लक्ष्य का सफलता दिया गया

प्रस्ताव टहराव की कार्यवाही की प्रति श्रीमान वनपरिक्षेत्राधिकारी मधेन लतनवाडी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

भरोराम

ग्राह वन समिति

न व लक्ष्मी

हस्ताक्षर - भरोराम

सचिव

ग्राम वन समिति - कुँखोदा

genus

संकेत
वृत्तारोपण सी. सी. डब्ल्यू
वृत्तारोपण स्मिथ
नामा

T.R. Safford
Dean

सिद्धि
 ५५. २४/०१/२०१८
 राधा कृष्ण रावत
 राधा कृष्ण रावत

Legend

- 476 plat
- Cluster
- Feature
- Feature

HODA

REA 66.624



:: प्रोजेक्ट रिपोर्ट ::

वनमण्डल का नाम	:-	शिवपुरी
परिक्षेत्र का नाम	:-	सतनवाड़ा
बीट का नाम	:-	कैखोदा
कक्ष क्रमांक	:-	476
वृक्षारोपण का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	:-	66.624
रोपण योग्य रकबा (हेक्टेयर में)	:-	66.624
रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या	:-	66624
ग्राम वन समिति का नाम	:-	कैखोदा

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष				दर मा.दि. 454.00		
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई	
1	सर्वे एवं सीमांकन हे०	66.624	ha	0.45	प्रति हे०	जॉबदर
2	क्षेत्र सफाई (हे०)	50	ha	2.50	प्रति हे०	जॉबदर
3	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)	0	ha	12.00	प्रति हेक्टे	जॉबदर
4	सी.पी.डब्ल्यू निर्माण कार्य (1.5x1.0x1.5 मी.)	3700	Rmt	2.044	Rmt	जॉबदर
5	गड़ड़ा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	66624	गड़ड़े	0.0018	प्रति	जॉबदर
6	गड़ड़ा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	66624	गड़ड़े	0.0484	प्रति	जॉबदर
7	रोपण हेतु गड़ड़ा खुदाई जे.सी.बी.मशीन द्वारा संख्या 0.45x0.45x0.45 cm.	1517	घ०मी०	0.9	प्रति घ०मी०	जॉबदर
8	गड़ड़ों में मिट्टी बदलने हेतु कय आयतन का 25 प्रतिशत	910	घ०मी०	1.75	प्रति घ०मी०	जॉबदर
9	गोबर खाद डालने हेतु कय आयतन का 15 प्रतिशत	66624	गड़ड़े	1.5	प्रति सैकड़ा	जॉबदर
10	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड़ड़ों में डालना	15	नग	12	प्रति	जॉबदर
11	मुनारा निर्माण कार्य		L.S.			अनुमानित
12	हट निर्माण					55
13	लोहे का गेट मय पिलर					250
14	सैक्टर बार निरीक्षण पथ निर्माण कार्य		L.S.			44
15	अन्य व्यय (सूचना बोर्ड, पेंट, चूना आदि)		L.S.			15648
	योग					3912
15	मू-जल संरक्षण कार्य 25 प्रतिशत		L.S.			अनुमानित
	योग					19561

योजना का द्वितीय वर्ष				दर मा.दि. 452.00		
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मा.दि.	ईकाई	
1	रोपणी कार्य					
	प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	66624	पौधे	0.029	14/प्रति पौधा	जॉबदर
	मूल पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत	13325	पौधे	0.029	14/प्रति पौधा	जॉबदर
2	पौधा का परिवहन (संख्या)					
	ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा	79949	पौधे	3.9	3.90/100	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	79949	पौधे	0.4	0.4/100	जॉबदर
3	लेटाना मार्पिंग अप आपरेशन	0	00 हेक्टेयर	8	8 प्रति हेक्टे	जॉबदर
4	पौधा रोपण					
	45x45x45 cm.	66624	गड़ड़े	1.8	1.8 प्रति सैकड़ा	जॉबदर
5	प्रथम निंदाई					
	पौधों में	66624	पौधे	1.25	1.25/100	जॉबदर
6	द्वितीय निंदाई					
	पौधों में	66624	पौधे	1	1/100	जॉबदर
7	तृतीय निंदाई					
	पौधों में	66624	पौधे	1	1/100	जॉबदर
8	खाद एवं कीटनाशक क्रय	66624	LS			300
9	खाद एवं कीटनाशक डलवाई, छिड़काव कार्य	66624	पौधे	0.6	0.6 प्रति सैकड़ा	जॉबदर
10	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन					
	6 मीटर चौड़ी	4500	mtr	2.25	2.25/किमी	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	7500	mtr	1.5	1.50/किमी	जॉबदर
11	सुरक्षा 2 श्रमिक 9 माह		2x9			468

12	पौधों की सिंचाई कार्य माह अक्टूबर, नवम्बर, फरवरी, मार्च	66624	पौधे	5	1.25 / 100	3331 ✓	जॉबदर
15	अन्य व्यय					250 ✓	अनुमानित
योग:-						13891 ✓	

योजना का तृतीय वर्ष

दर प्रति ईकाई (मा.दि.) 510.00

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	ईकाई	मा.दि.	ईकाई		
1	रोपणी व्यय (15 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	9994	पौधे	0.0299	15 रुपये प्रति पौधा	299 ✓	जॉबदर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						जॉबदर
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	9994	पौधे	3.9	3.9 / 100	390 ✓	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	9994	पौधे	0.4 ✓	0.4 प्रति सैकड़ा	40 ✓	जॉबदर
3	सी.पी.डब्ल्यू मरम्मत कार्य (र.मी.)	500	र.मी.	0.14 ✓	प्रति मीटर	70 ✓	अनुमानित
4	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	66624	पौधे	1.25 ✓	1.25 / 100	833 ✓	जॉबदर
5	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	66624	पौधे	1 ✓	1 मादि / 100	666 ✓	जॉबदर
6	तृतीय निंदाई						
	पौधों में	66624	पौधे	1 ✓	1 मादि / 100	666 ✓	जॉबदर
8	खाद एवं कीटनाशक क्रय	66624	LS			250	जॉबदर
7	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	66624	पौधे	0.6 ✓	0.6 मादि / सैकड़ा	400 ✓	जॉबदर
8	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	4500	mtr	2.25 ✓	3.35 / किमी	10 ✓	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	7500	mtr	1.5 ✓	2.25 / किमी	11 ✓	जॉबदर
9	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			624 ✓	जॉबदर
12	पौधों की सिंचाई कार्य माह अप्रैल से जून एवं अक्टूबर, नवम्बर, फरवरी, मार्च	66624	पौधे	10 ✓	1.25 / 100	6662 ✓	जॉबदर
11	अन्य व्यय					250	अनुमानित
योग:-						11171 ✓	

योजना का चतुर्थ वर्ष

दर प्रति ईकाई (मा.दि.) 541.00

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	ईकाई	मा.दि.	ईकाई		
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	6662	पौधा	0.035 ✓	15 रुपये प्रति पौधा	233 ✓	जॉबदर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						जॉबदर
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	6662	पौधे	1.5	100	100 ✓	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	6662	पौधे	0.4 ✓	सैकड़ा	27 ✓	जॉबदर
3	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	66624	पौधे	1.25 ✓	100	833 ✓	जॉबदर
4	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	66624	पौधे	1 ✓	100	666 ✓	जॉबदर
5	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	4500	mtr	2.25 ✓	किमी	10 ✓	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	7500	mtr	1.5	किमी	11 ✓	जॉबदर
8	खाद एवं कीटनाशक क्रय	66624	LS			250	जॉबदर
7	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	66624	पौधे	0.6 ✓	0.6 मादि / सैकड़ा	399.744 ✓	जॉबदर
12	पौधों की सिंचाई कार्य माह अप्रैल से जून एवं अक्टूबर, नवम्बर, फरवरी, मार्च	66624	पौधे	10 ✓	1.25 / 100	6662 ✓	जॉबदर
	सी.पी.डब्ल्यू मरम्मत कार्य (र.मी.)	1000	र.मी.	0.14 ✓	प्रति र.मी.	140 ✓	जॉबदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			624 ✓	जॉबदर
7	अन्य व्यय (पुनरुत्पादन सर्वे कार्य)		LS			211	अनुमानित
योग:-						10167 ✓	

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष

दर प्रति ईकाई (मा.दि.) 573.00

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	ईकाई	मा.दि.	ईकाई		

1	पौधों में	66624	पौधे	1.25	100	833	जॉबदर
2	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	4500	mtr	2.25	किमी	10	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	7500	mtr	1.5	किमी	11	जॉबदर
3	पौधों की सिंचाई कार्य माह अप्रैल से जून एवं अक्टूबर, नवम्बर, फरवरी, मार्च	66624	पौधे	7.5	1.25/100	4997	जॉबदर
4	सुरक्षा समिति द्वारा/2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			624	जॉबदर
5	अन्य व्यय					200	अनुमानित
योग:-						6675	

योजना का षष्ठम वर्ष

दर प्रति ईकाई (मा.दि.) 668.00

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मा.दि.	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	4500	mtr	2.25	किमी	10	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	7500	mtr	1.5	किमी	11	जॉबदर
	सी.पी.डब्ल्यू मरम्मत कार्य (र.मी.)	1000	र.मी.	0.14	प्रति र.मी.	140	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			312	जॉबदर
3	अन्य व्यय (पुनरुत्पादन सर्वे कार्य)					200	अनुमानित
योग:-						673	

योजना का सप्तम वर्ष

दर प्रति ईकाई (मा.दि.) 644.00

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मा.दि.	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	4500	mtr	2.25	किमी	10	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	7500	mtr	1.5	किमी	11	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			312	जॉबदर
3	अन्य व्यय					200	अनुमानित
योग:-						533	

योजना का अष्टम वर्ष

दर प्रति ईकाई (मा.दि.) 682.00

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मा.दि.	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	4500	mtr	2.25	किमी	10	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	7500	mtr	1.5	किमी	11	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			312	जॉबदर
3	अन्य व्यय					200	अनुमानित
योग:-						533	

योजना का नवम वर्ष

दर प्रति ईकाई (मा.दि.) 724.00

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मा.दि.	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	4500	mtr	2.25	किमी	10	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	7500	mtr	1.5	किमी	11	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			312	जॉबदर
3	अन्य व्यय					200	अनुमानित
योग:-						533	

योजना का दशम वर्ष

दर प्रति ईकाई (मा.दि.) 767.00

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मा.दि.	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	4500	mtr	2.25	किमी	10	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	7500	mtr	1.5	किमी	11	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			312	जॉबदर
3	अन्य व्यय					200	अनुमानित
योग:-						533	

कक्ष क्र. R476 रकवा 66.624 हे.

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मा.दि.	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	4500	mtr	2.25	किमी	10	जीबंदर
	3 मीटर चौड़ी	7500	mtr	1.5	किमी	11	जीबंदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			312	जीबंदर
3	अन्य व्यय					200	अनुमानित
						योग:- 533	

गोश्वारा, आदर्श रोपण
66.624 हे० सिंचित

वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि लेने पर गुणांक.	प्रस्तावित मानव दिवस
प्रथम	19561	1.0000	19561
द्वितीय	13891	1.0600	14725
तृतीय	11171	1.1236	12552
चतुर्थ	10167	1.1910	12109
पंचम	6675	1.2625	8427
षष्ठम	673	1.3382	901
सप्तम	533	1.4185	757
अष्टम	533	1.5036	802
नवम	533	1.5938	850
दशम	533	1.6895	901
ग्यारवा	533	1.7908	955
	कुल योग 64803		72541
	कुल राशि 32933439		
	3293344		
आस्था मूलक कार्य 5%, मानव संसाधन विकास कार्य 1%, अनुसूचित-मूल्यंकन 4%		महायोग 36226782	

वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल शिवपुरी

उप वनमण्डलाधिकारी
उप वनमण्डल शिवपुरी

अनुमोदित

वन संरक्षक
शिवपुरी वृत्त शिवपुरी

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र सतनवाडा

कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी, वन परिक्षेत्र सतनवाड़ा

Rotsatanwara@mp.gov.in,

Mob-9424794755

क्रमांक/2024/ 403

सतनवाड़ा, दिनांक/01/04/2024

प्रति,

वन मण्डलाधिकारी महोदय,

सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

विषय :-

सनघटा मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत क्षति-पूर्ति वनीकरण हेतु कार्यो के स्थल परिवर्तन करने बावत् ।

—00—

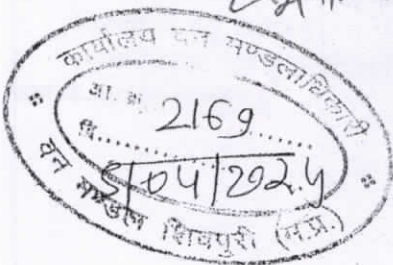
उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि परिक्षेत्र सतनवाड़ा के अंतर्गत सनघटा मध्यम सिंचाई परियोजना में प्रभावित वन भूमि के बदले में क्षति-पूर्ति वनीकरण हेतु आवंटित शासकीय राजस्व भूमि के अतिरिक्त रोपण हेतु शेष रहे पौधों की 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की तकनीकी स्वीकृति कार्यालय वन वृत्त शिवपुरी के पत्र क्रमांक/कैम्पा/2023/131 शिवपुरी, दिनांक 14.08.2023 प्राप्त हुई थी। उक्त स्थलों पर किन्हीं कारणोंवस उक्त कक्षों में कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

अतः उक्त दोनो क्षेत्रों के स्थान पर निम्न स्थल पर वैकल्पिक वृक्षारोपण किये जाने हेतु स्थल परिवर्तन किये जा रहे है, जिनका विवरण निम्नानुसार है -

क्र.	परिक्षेत्र	बीट का नाम	पूर्व में प्रस्तावित स्थल/कक्ष क्र.	परिवर्तित स्थल का नाम /कक्ष क्र.	रकबा (है.में)	स्थल परिवर्तन का कारण	रिमार्क
1.	सतनवाड़ा	नयागांव	पतारा, पी.936	नयागांव, पी.एफ. 935	50.00	उक्त स्थल पर पूर्व में वृक्षारोपण कार्य कराया जा चुका है।	
2.	सतनवाड़ा	कैखोदा	कैखोदा, 478	ठाठी, 476	66.624	उक्त स्थल पर वृक्षारोपण हेतु सुरक्षा हेतु पशु अवरोधक दीवार हेतु पत्थर की उपलब्धता नहीं है एवं सिंध नदी का किनारा होने से ग्रामीणों के पशुओं को पीने के पानी हेतु अत्यधिक मानवीय दबाव है।	

मा.सि. 1/244
Dfo
24/4/24

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र सतनवाड़ा



“परियोजना – प्रतिवेदन”



सनघटा मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत

क्षति-पूर्ति वृक्षारोपण नयागांव

कक्ष क्रमांक	:-	P 935
कुल रकवा	:-	50.00
प्रस्तावित क्षेत्रफल	:-	50.00
प्रथम वर्ष राशि	:-	7069234.00
परियोजना राशि	:-	28564106.00
ग्राम वन समिति	:-	पतारा
योजना की अवधि	:-	वर्ष 2024-25 से 2035-36 तक
स्थल का नाम	:-	नयागांव

भाग-1 सामान्य विवरण

1	वन वृत्त	शिवपुरी
2	वन मण्डल	शिवपुरी
3	परिक्षेत्र	सतनवाड़ा
4	तहसील	शिवपुरी
5	विधान सभा	शिवपुरी
6	जनपद पंचायत	शिवपुरी
7	ग्राम पंचायत	पतारा
8	परिक्षेत्र सहायक वृत्त	सतनवाड़ा
9	परिसर (बीट)	नयागांव
10	वन खण्ड एवं कक्ष क्रमांक	पी. 935
11	कक्ष का कुल क्षेत्रफल है०	334.54
12	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल है०	50.00
13	कार्य वृत्त	
14	उपचार श्रेणी / पातन श्रेणी	
15	कक्ष में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी	वर्ष 2022-23 में एन.पी.व्ही.आर.डी. एफ. योजना अंतर्गत वृक्षारोपण कार्य कराया गया।
16	प्रस्तावित स्थल में पूर्व में किये गये कार्य	निरंक
17	गठित समिति का प्रकार	ग्राम वन समिति
18	समिति का मुख्यालय	नयागांव
19	समिति में सम्मिलित गांव	नयागांव, पतारा
20	समिति के अध्यक्ष का नाम	श्री लालजी राम आदिवासी
21	समिति के सचिव का नाम	श्री विजय गौड़ वनरक्षक
22	परिसर रक्षक का नाम	श्री विजय गौड़ वनरक्षक
23	परिक्षेत्र सहायक का नाम	श्री सुनील सेन का.वनपाल
24	क्षेत्र की भौगोलिक रचना :	
	ए. एस्पेक्ट (प्रवण)	पश्चिम
	बी. ढलान	0 से 5 तक
	सी. चट्टानों का विवरण	विध्यन रौल रॉक समूह
	डी. मिट्टी का प्रकार	रेतीली
	ई. नरम मिट्टी का क्षेत्र	40 हेक्टर

एफ कड़ी मिट्टी का क्षेत्र	10 हैक्टर
25 वन का प्रकार	उत्तर उष्ण देशीय शुष्क पर्णपाती मिश्रित वन. 5 बी/सी - 2
26 वन घनत्व	0.2 से कम
27 स्थल की जी.पी.एस. रीडिंग	
28 क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां	करघई, रेमझा, खैर
29 रोपण हेतु प्रस्तावित प्रजातियां	शीसम, चिरौल, सिरस, आवला, करंज, नीम एवं अन्य बिलुप्त प्रजातियां आदि
30 कक्ष के वन प्रबंधन का इतिहास	शिवपुरी वनमण्डल में वर्तमान में श्री डी.के अग्रवाल भा.व.से. द्वारा पुनरीक्षित कार्य आयोजना प्रभावशील है जिसके अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र जलाऊ एवं चारागाह विकास में आता है।
31 योजना का उद्देश्य	1-वनीकरण कर वनों के घनत्व में वृद्धि करना 2-मृदा एवं जल संरक्षण करना । 3-स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करना 4-ग्रामीणों की निस्तार की आवश्यकता की पूर्ति करना । 5-ग्रामीणों को रोजगार प्रदाय कर उनके पलायन को रोकना । अतिक्रमण से क्षेत्र का बचाव करना । 6-
32 उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण	1- क्षेत्र की सुरक्षा के लिये पशु अवरोधक दीवार से की जावेगी । 2-क्षेत्र में फैली आवंछित झाड़ियों को निकालकर एवं जलाकर सफाई कार्य कराया जावेगा । 3-पौधा रोपण हेतु चिन्हांकन कर गड्डे खोदे जावेंगे 4-गड्डे में उपजाऊ मिट्टी, गोबर खाद एवं नीमखली का मिश्रण डाला जावेगा । 5-खुले क्षेत्र में हलीकरण कर स्थानीय प्रजातियों के बीजों का संग्रहण कर उनकी बुआई की जावेगी । 6- क्षेत्र की मिट्टी का परीक्षण करवाया जायेगा तदुपरांत स्थल की मांग अनुसार रासायनिक तत्वों से उपचारित किया जायेगा । 7-क्षेत्र में सिरसू, चिरौल, करंज, नीम, आवला, खमेर इत्यादि प्रजातियों के पौधों का रोपण कर निदाई गुढाई एवं कीटनाशक का छिडकाव किया जावेगा । 8-अग्नि सुरक्षा एवं क्षेत्र सुरक्षा का कार्य किया जावेगा

9-पौधा परिवहन एवं मूल्यांकन कार्य हेतु मुख्य मार्ग से रोपण क्षेत्र में निरीक्षण पथ का निर्माण किया जावेगा ।

- 33 लक्ष्य प्राप्ति की सीमा
34 लक्ष्य प्राप्ति की रण नीति

वर्ष 2024-25 से 2034-35 तक

प्रस्तावित क्षेत्र में कराये जाने वाले कार्य एवं भविष्य में क्षेत्र की सुरक्षा के दायित्वों को वन समिति के सहयोग से किया जायेगा। कार्य कराने के पूर्व क्षेत्र का उपचार मानचित्र परिक्षेत्राधिकारी द्वारा 1:12500 के स्केल पर तैयार किया जाकर स्थल की आवश्यकता के अनुरूप कार्य कराये जायेंगे लक्ष्य प्राप्ति हेतु संयुक्त वन प्रबंधन की रणनीति को प्राथमिकता दी जायेगी। वनसुरक्षा में ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्राप्त होने वाली वनोपज के वितरण की व्यवस्था का प्रावधान समिति सदस्यों से चर्चा कर ठहराव प्रस्ताव के अनुसार किया जायेगा।

- 35 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन
अ. आंतरिक मूल्यांकन

वनमण्डल के अंतर्गत बरिष्ठ द्वारा निर्देशित मूल्यांकन पद्धति से माह मई एवं माह अक्टूबर में क्षेत्र का मूल्यांकन कराया जायेगा। जिसकी प्रविष्टि प्लांटेशन जनरल में की जायेगी।

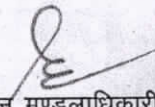
ब.बाह्य मूल्यांकन

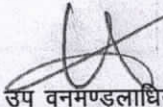
वन वृत्त शिवपुरी के अंतर्गत शिवपुरी, गुना एवं अशोकनगर वनमण्डल के मध्य बाह्य मूल्यांकन का कार्य मुख्य वन संरक्षक शिवपुरी के निर्देशानुसार कराया जायेगा।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल वैकल्पिक वृक्षारोपण नयागांव कक्ष क्र. पी.935 रकबा 50.00 हेक्टर का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है एवं निरीक्षण के समय उपरोक्त जानकारी सही पाई गई है। यह क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यो/वृक्षारोपण के योग्य है।

प्रोजेक्ट अनुमोदन की अनुशंसा की जाती है।


वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल शिवपुरी


उप वनमण्डलाधिकारी
उप वनमण्डल शिवपुरी


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र सतनवाड़ा

बैठक

आज दिनांक 02/04/2024 को ग्राम वन समिति नयागांव की बैठक का आयोजन ग्राम की चौपाल पर किया गया बैठक की अध्यक्षता ग्राम वन समिति अध्यक्ष श्री शिवलाल आदिवासी द्वारा की गई बैठक में समिति सचिव एवं परिसेत्र पंचायत सलमवाड़ा भी उपस्थित रहे। उक्त बैठक में निम्न प्रस्ताव पारित किए गए।

हैराव	पुल्लाव
बैठक में वीरगति नयागांव द्वारा प्रस्ताव रखता गया की ग्राम वन समिति नयागांव अन्तर्गत वन क्षेत्र PF 935 में एक इमारत पर अवधल मध्यम शिचर्ड परिसोधना के अन्तर्गत शक्तिपुरी वनिकाना हेतु वैकल्पिक इमारत पर किया जाने को पारित किया गया।	सर्व सम्मति से उक्त हैराव पर विचार कर रिक्त पड़े वन क्षेत्र में इमारत बनाने की सम्मति दी गई एवं सभी सदस्यों ने एक स्वर से हाथ उठाकर प्रस्ताव को पारित किया गया।

हैराव/पुल्लाव की एक प्रति श्री मान वन मंडलाधिकारी महेन्द्र एवं परिसेत्र अधिकारी महेन्द्र की ओर भेजी जाकर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रस्तुत है।

शिवलाल

अध्यक्ष
ग्राम वन समिति नयागांव
शिवपुरी (मन्त्रण)

विद्या

रामनिवासर

सचिव

ग्राम वन समिति नयागांव
शिवपुरी (मन्त्रण)

पिरना

वनवारी

श. वि. पण्डित आदिवासी

श. वि. पण्डित आदिवासी

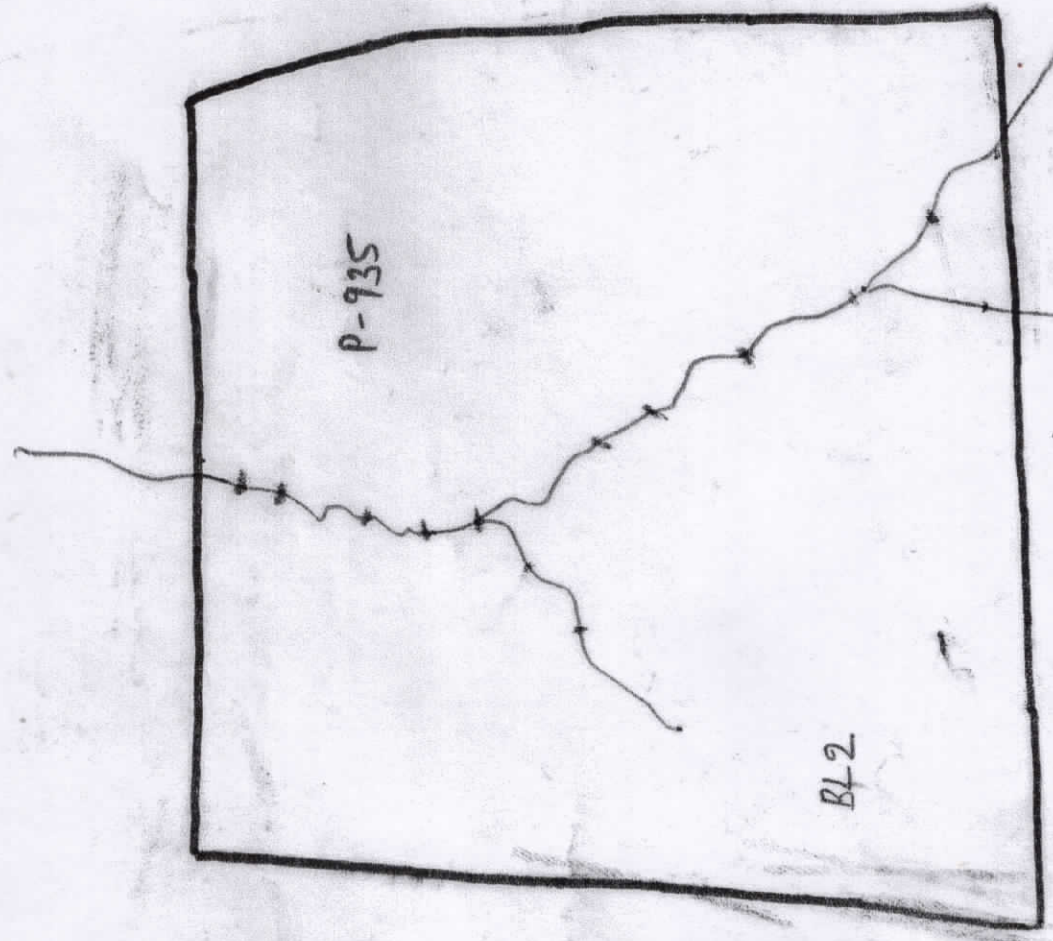
श. वि. पण्डित आदिवासी

मजबूत सिंह

काशीराम

सुरेश

गीट - मागांव कशक. प-935
 रकबा - 50 हे. व. - 2024-25



N
 (No scale)

Index

□ - असावित क्षेत्र
 ✕ - नाला भय-चक्रेक

(No. scale)
 1 कि. मी.

River
 (No. scale)

024

AGAO

AREA 50.00

Plano de fundo da paisagem

Le

:: प्रोजेक्ट रिपोर्ट ::

वनमण्डल का नाम	:-	शिवपुरी
परिक्षेत्र का नाम	:-	सतनवाड़ा
बीट का नाम	:-	नयागांव
कक्ष क्रमांक	:-	पी 935
वृक्षारोपण का कुल रकबा(हेक्टेयर में)	:-	50.00
रोपण योग्य रकबा (हेक्टेयर में)	:-	50.00
रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या	:-	50000
ग्राम वन समिति का नाम	:-	पतारा

क्षेत्र तैयारी वर्ष—योजना का प्रथम वर्ष						दर मा.दि.	454.00
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	सर्वे एवं सीमांकन हे०	50	ha	0.45	प्रति हे०	23	जॉबदर
2	क्षेत्र सफाई (हे०)	40	ha	2.50	प्रति हे०	100	जॉबदर
3	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)	5	ha	12.00	प्रति हेक्टर	60	जॉबदर
4	सी.पी.डब्ल्यू निर्माण कार्य (1.5×1.0×1.5 मी.)	3000	Rmt	2.044	Rmt	6132	जॉबदर
5	गड्ढा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	50000	गड्ढे	0.0018	प्रति	90	जॉबदर
6	रोपण हेतु गड्ढा खुदाई जे.सी.बी.मशीन द्वारा संख्या 0.45x0.45x0.45 cm.	50000	गड्ढे	0.0484	प्रति	2420	जॉबदर
7	गड्ढों में मिट्टी बदलने हेतु कय आयतन का 25 प्रतिशत	1139	घ०मी०	0.9	प्रति घ०मी०	1025	जॉबदर
8	गोबर खाद डालने हेतु कय आयतन का 15 प्रतिशत	683	घ०मी०	1.75	प्रति घ०मी०	1195	जॉबदर
9	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड्ढों में डालना	50000	गड्ढे	1.5	प्रति सैकड़ा	750	जॉबदर
10	मुनारा निर्माण कार्य	16	नग	12	प्रति	192	जॉबदर
11	हट निर्माण		L.S.			100	अनुमानित
12	लोहे का गेट मय पिलर					55	
13	सैक्टर बार निरीक्षण पथ निर्माण कार्य		L.S.			250	अनुमानित
14	अन्य व्यय (सूचना बोर्ड, पैट, चूना आदि)		L.S.			65	
	योग					12458	
15	भू-जल संरक्षण कार्य 25 प्रतिशत		L.S.			3114	अनुमानित
	योग					15571	

योजना का द्वितीय वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मा.दि.	इकाई		
1	रोपणी कार्य						
	प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	50000 ✓	पौधे	0.029 ✓	14/प्रति पौधा	1450 ✓	जॉबदर
	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत	10000 ✓	पौधे	0.029 ✓	14/प्रति पौधा	290 ✓	जॉबदर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						
	ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा	60000 ✓	पौधे	3.9 ✓	3.90/100	2340 ✓	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	60000 ✓	पौधे	0.4 ✓	0.4/100	240 ✓	जॉबदर
3	लेटाना मापिंग अप आपरेशन	2 ✓	00 हेक्टेयर	8 ✓	8 प्रति हेक्ट	16 ✓	जॉबदर
4	पौधा रोपण						
	45x45x45 cm.	50000 ✓	गड्ढे	1.8 ✓	1.8 प्रति सैकड़ा	900 ✓	जॉबदर
5	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	50000 ✓	पौधे	1.25 ✓	1.25/100	625 ✓	जॉबदर
6	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	50000 ✓	पौधे	1 ✓	1/100	500 ✓	जॉबदर
7	तृतीय निंदाई						
	पौधों में	50000 ✓	पौधे	1 ✓	1/100	500 ✓	जॉबदर
8	खाद एवं कीटनाशक क्रय	50000 ✓	LS			250	जॉबदर
9	खाद एवं कीटनाशक डलवाई, छिड़काव कार्य	50000 ✓	पौधे	0.6 ✓	0.6 प्रति सैकड़ा	300 ✓	जॉबदर
10	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	3000	mtr	2.25 ✓	2.25/किमी	7 ✓	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	5000	mtr	1.5 ✓	1.50/किमी	8 ✓	जॉबदर
11	सुरक्षा 2 श्रमिक 9 माह		2x9			468 ✓	जॉबदर

12	पौधों की सिंचाई कार्य माह अक्टूबर, नवम्बर, फरवरी, मार्च	50000	पौधे	5	1.25/100	2500	जॉबदर
13	अन्य व्यय					200	अनुमानित
योग:-						10593	

योजना का तृतीय वर्ष

दर प्रति ईकाई (मा.दि.) 510.00

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मा.दि.	ईकाई		
1	रोपणी व्यय (15 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	7500	पौधे	0.0299	15 रुपये प्रति पौधा	224	जॉबदर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						जॉबदर
	ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा	7500	पौधे	3.9	3.9/100	293	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	7500	पौधे	0.4	0.4 प्रति सैकड़ा	30	जॉबदर
3	सी.पी.डब्ल्यू मरम्मत कार्य (र.मी.)	300	र.मी.	0.14	प्रति मीटर	42	अनुमानित
4	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	50000	पौधे	1.25	1.25/100	625	जॉबदर
5	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	50000	पौधे	1	1 मादि/100	500	जॉबदर
6	तृतीय निंदाई						
	पौधों में	50000	पौधे	1	1 मादि/100	500	जॉबदर
7	खाद एवं कीटनाशक क्रय	50000	LS			250	जॉबदर
8	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	50000	पौधे	0.6	0.6 मादि/सैकड़ा	300	जॉबदर
9	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	3000	mtr	2.25	3.35/किमी	7	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	5000	mtr	1.5	2.25/किमी	8	जॉबदर
10	सुरक्षा समिति द्वारा/2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			624	जॉबदर
11	पौधों की सिंचाई कार्य माह अप्रैल से जून एवं अक्टूबर, नवम्बर, फरवरी, मार्च	50000	पौधे	10	1.25/100	5000	जॉबदर
12	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					200	अनुमानित
योग:-						8602	

योजना का चतुर्थ वर्ष

दर प्रति ईकाई (मा.दि.) 544.00

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मा.दि.	ईकाई		
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	5000	पौधा	0.035	15 रुपये प्रति पौधा	175	जॉबदर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						जॉबदर
	ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा	5000	पौधे	1.5	100	75	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	5000	पौधे	0.4	सैकड़ा	20	जॉबदर
3	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	50000	पौधे	1.25	100	625	जॉबदर
4	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	50000	पौधे	1	100	500	जॉबदर
5	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	3000	mtr	2.25	किमी	7	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	5000	mtr	1.5	किमी	8	जॉबदर
6	खाद एवं कीटनाशक क्रय	50000	LS			250	जॉबदर
7	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	50000	पौधे	0.6	0.6 मादि/सैकड़ा	300	जॉबदर
8	पौधों की सिंचाई कार्य माह अप्रैल से जून एवं अक्टूबर, नवम्बर, फरवरी, मार्च	50000	पौधे	10	1.25/100	5000	जॉबदर
9	सी.पी.डब्ल्यू मरम्मत कार्य (र.मी.)	500	र.मी.	0.14	प्रति र.मी.	70	जॉबदर
10	सुरक्षा समिति द्वारा/2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			624	जॉबदर
11	अन्य व्यय (पुनरुत्पादन सर्वे कार्य)		LS			209	अनुमानित
योग:-						7862	

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष

दर प्रति ईकाई (मा.दि.) 573.00

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मा.दि.	ईकाई		

पौधों में	50000	पौधे	1.25	100	625	जॉबदार
2 आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
6 मीटर चौड़ी	3000	mtr	2.25	किमी	7	जॉबदार
3 मीटर चौड़ी	5000	mtr	1.5	किमी	8	जॉबदार
3 पौधों की सिंचाई कार्य माह अप्रैल से जून एवं अक्टूबर, नवम्बर-फरवरी, मार्च	50000	पौधे	7.5	1.25/100	3750	जॉबदार
4 सुरक्षा समिति द्वारा/2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			624	जॉबदार
5 अन्य व्यय					100	अनुमानित
योग:-					5113	

योजना का षष्ठम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मा.दि.	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	3000	mtr	2.25	किमी	7 ✓	जॉबदार
	3 मीटर चौड़ी	5000	mtr	1.5	किमी	8 ✓	जॉबदार
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			312 ✓	जॉबदार
3	अन्य व्यय (पुनरुत्पादन सर्वे कार्य)					200	अनुमानित
					योग:-	526 ✓	

योजना का सप्तम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मा.दि.	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	3000	mtr	2.25	किमी	7	जॉबदार
	3 मीटर चौड़ी	5000	mtr	1.5	किमी	8	जॉबदार
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			312	जॉबदार
3	अन्य व्यय					200	अनुमानित
योग:-						526	

योजना का अष्टम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मा.दि.	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	3000	mtr	2.25	किमी	7 ✓	जॉबदार
	3 मीटर चौड़ी	5000	mtr	1.5	किमी	8	जॉबदार
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			312 ✓	जॉबदार
3	अन्य व्यय					200	अनुमानित
						योग:- 526 ✓	

योजना का नवम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मा.दि.	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	3000	mtr	2.25	किमी	7 ✓	जॉबदार
	3 मीटर चौड़ी	5000	mtr	1.5 ✓	किमी	8 ✓	जॉबदार
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			312 ✓	जॉबदार
3	अन्य व्यय					200	अनुमानित
योग:-						526 ✓	

योजना का दशम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मा.दि.	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	3000	mtr	2.25	किमी	7	जॉबदार
	3 मीटर चौड़ी	5000	mtr	1.5	किमी	8	जॉबदार
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			312	जॉबदार
3	अन्य व्यय					200	अनुमानित
					योग:-	526	

योजना का ग्यारवा वर्ष

		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		83.00
--	--	------------------------	--	-------

योजना का ग्यारवा वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (भा.दि.)		कुल मानव दिवस	शिर्षक
		मात्रा	इकाई	भा.दि.	इकाई		
1	आन्तरिक जल सुरक्षा लाईन						
6	मीटर चौड़ी	3000	mtr	2.25	किमी	7	जीबदर
3	मीटर चौड़ी	5000	mtr	1.5	किमी	8	जीबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			312	जीबदर
3	अन्य व्यय					200	अनुमानित
						योग:- 526	

गोश्वारा, आदर्श रोपण
50.00 हे० सिंचित

वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस
प्रथम	15571	1.0000	15571
द्वितीय	10593	1.0600	11229
तृतीय	8602	1.1236	9665
चतुर्थ	7862	1.1910	9364
पंचम	5113	1.2625	6455
षष्ठम	526	1.3382	704
सप्तम	526	1.4185	746
अष्टम	526	1.5036	791
नवम	526	1.5938	839
दशम	526	1.6895	889
ग्यारवा	526	1.7908	942
कुल योग	50897		57197
कुल राशि		25967369	
आस्था मूलक कार्य 5%, मानव संसाधन विकास कार्य 1%, अनुसंधान मूल्य 4%		2596737	
महायोग		28564106	

वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल शिवपुरी

उप वनमण्डलाधिकारी
उप वनमण्डल शिवपुरी

अनुमोदित

वन संरक्षक
शिवपुरी वृत्त शिवपुरी

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र सतनवाडा

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग शिवपुरी (म.प्र.)

email:- cewrdshivpuri@yahoo.com

Ph.No. 07492-221354

क्रं. 598 / कार्य / सनघटा / 2024
प्रति,

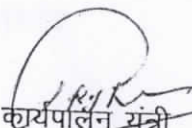
शिवपुरी, दिनांक 20/04/2024

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल
शिवपुरी (म.प्र.)

- विषय:- जिला शिवपुरी के अन्तर्गत सनघटा (ऐर) मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 349.00 हेक्टेयर वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत।
- संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक दिनांक 27 मार्च 2024

विषयांकित के संबंध में एवं संदर्भित पत्र के पालन में सनघटा (ऐर) मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत इस कार्यालय से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रं.	बिन्दु	उत्तर
i.	The State Govt. has now revised the KML file of the instant project and the canal proposed and passing through the Non-forest land have been included in the KML file, However, it is imperative to mention here that the canal area which has been proposed to be constructed in the non-forest land has not been included in the component wise details furnished in the Part-I form. The State shall ensure that the component wise details of forest/non-forest land involved are correctly mentioned in the online application form.	वन विभाग के परिवेश पोर्टल के पार्ट-1 के कम्पोनेन्ट वाइस डिटेल् में केनाल का नॉन फॉरेस्ट लेण्ड क्षेत्र को अंकित कर दिया गया है।


कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
शिवपुरी (म.प्र.)